इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 सितम्बर 2021—भाद्र 19, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र.–जविप्रा–भू–अर्जन–2021–153.– जबलपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 11 द्वितीय चरण (ग्राम–लक्ष्मीपुर) के अन्तर्गत तत्समय ग्रीन बेल्ट की तत्समय त्रुटिवश राजपत्र में दिनांक 05 अक्टूबर 1979 को धारा 71(2) के तहत् दिनांक 22 जून 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित भूमि के डीनोटिफिकेशन की सूचना प्रकाशित हुआ था. जिसमें संशोधन सूचना निम्नानुसार राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें :–

पूर्व में प्रकाशित त्रुटिपूर्ण विवरण				सही विवरण			
क्र.	खसरा नं.	रकबा (हेक्टे.में)	तत्समय के भूमिस्वामियों के नाम	क्र.	खसरा नं.	रकबा (हेक्टे.में)	तत्समय के भूमिस्वामियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	65	0.020	प्रेम सिंह	1	65	0.028	प्रेम सिंह
2	97/1, 97/2, 97/3	में से 0.070	प्रहलाद सिंह	2	97/1, 97/2, 97/3	में से 0.070	गिरजादत्त
3	101	में से 0.186	गिरजाहत	3	101	में से 0.186	प्रहलाद सिंह
4	128/2	0.024	प्रेमसिंह	4	128/2	विलोपित किया जाता है.	

पूर्व में प्रकाशित त्रुटिपूर्ण विवरण क्र. 01, 02, 03 के स्थान पर सही विवरण क्र. 01, 02, 03 पढ़ा जावें, एवं पूर्व में प्रकाशित त्रुटिपूर्ण विवरण क्र. 04 को विलोपित किया जाता है.

प्रशांत श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

(G-447)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रभा पासी पति श्री भगवान दीन पासी, उम्र 52 वर्ष, निवासी क्वाटर नं. ओ.डी. 03 नयागांव, टेस्टिंग कालोनी, म.प्र.वि.मं. रामपुर जबलपुर की निवासी हूँ. मेरे पति श्री भगवान दीन पासी लाइन सहायक के पद पर 220 के.व्ही. उपकेन्द्र नयागांव, जबलपुर में पदस्थ हैं. मेरे पति के शासकीय अभिलेख में मेरा नाम श्रीमति विष्णु बाई पासी पति श्री भगवान दीन पासी दर्ज है. मेरे वोटर कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं बच्चों की अंकसूची में मेरा नाम श्रीमति प्रभा पासी पति श्री भगवान दीन पासी दर्ज है. अतः मेरा नाम श्रीमति प्रभा पासी पति श्री भगवान दीन पासी के नाम से जाना जाये एवं मेरे पति के शासकीय अभिलेख में मेरा नाम प्रभा पासी पति श्री भगवान दीन पासी दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
(विष्णु बाई पासी)	**(प्रभा पासी)**

(G-448)

नाम परिवर्तन

मैं, शबनम दुबे पिता सुदामा प्रसाद दुबे निवासी– मकान ग्राम केदारपुर चरगवां तहसील शहपुरा जिला जबलपुर यह घोषणा करती हूँ कि मेरा पूर्व में सभी शैक्षणिक एवं शासकीय/अशासकीय विभागों के दस्तावेजों में मेरा नाम शबनम दुबे दर्ज है. जो शादी के बाद ससुराल पक्ष में शबनम दुबे से ब्राम्हण जाति के हिसाब से यह नाम अटपटा जाति धर्म के हिसाब से सुविधाजनक नहीं लग रहा है.

उक्त नाम को बदलकर सपना दुबे कराना चाहती हूँ. अतः मुझे भविष्य में सपना दुबे के नाम से जाना एवं पहचाना जावें.

पुराना नाम	नया नाम
(शबनम दुबे)	**(सपना दुबे)** पिता– सुदामा प्रसाद दुबे, निवासी–मकान ग्राम केदारपुर, चरगवां, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर (म.प्र.).

(G-449)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रवीण पटेल पिता चंपालाल ठाकुर निवासी 76 शास्त्री नगर खण्डवा जिला खण्डवा म.प्र. सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम प्रवीण कुमार ठाकुर पिता चंपालाल ठाकुर (PRAVEEN KUMAR THAKUR S/O CHAMPALAL THAKUR) था. अब मैंने मेरा नाम बदल कर प्रवीण पटेल पिता चंपालाल ठाकुर (PRAVEEN PATEL S/O CHAMPALAL THAKUR) कर लिया है. अतः आज दिनांक से मेरे समस्त दस्तावेजों में जहाँ–जहाँ मेरा नाम प्रवीण कुमार ठाकुर पिता चंपालाल ठाकुर दर्ज है उसे प्रवीण पटेल पिता चंपालाल ठाकुर पढ़ा जावे तथा मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रवीण कुमार ठाकुर) पिता–चंपालाल ठाकुर	**(प्रवीण पटेल)** पिता–चंपालाल ठाकुर

(G-450)

आम सूचना

यह प्रमाणित किया जाता है कि नारायणी इंटर प्राईजेज पार्टनरशिप फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 05–26–07–0088–17 दिनांक 15–02–2017 को पता एम.आई.जी.–डी.एक्स–16 शारदा पुरी मैहर, सतना म.प्र. के नाम से पंजीकृत है जिसमें श्रीमती ओमबाला सिंह तथा श्री गणेश जी पार्टनर थे.

दिनांक 14 जून 2021 से नए पार्टनर श्री बालेन्द्र गौतम सम्मिलित हो रहे हैं. अतः यदि किसी पार्टनर को किसी तरह कि कोई आपत्ति है तो 15 दिवस के अंदर उपरोक्त पते पर सूचित करे.

मैसर्स नारायणी इंटर प्राईजेज,
ओम बाले सिंह,
(पार्टनर)
एम.आई.जी. डी.एक्स–16 शारदा पुरी मैहर, सतना (म.प्र.).

(G-451)

आम सूचना

फर्म बजाज ऑटोमोबाइल्स, चोरहटा रीवा मध्यप्रदेश जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें प्रकाश चंद्र रिझवानी एवं प्रकाश कुमार तारानी परस्पर पार्टनर हैं.

प्रकाश चंद्र रिझवानी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह उक्त फर्म में अपनी हिस्सेदारी अब नहीं रखना चाहते हैं एवं उक्त फर्म का मालिकाना पूरा प्रकाश कुमार तारानी को देना चाहते हैं, अतः पार्टनरशिप फर्म भंग करने की कार्यवाही की जा रही है.

मैसर्स बजाज ऑटोमोबाइल्स,
प्रकाश चंद्र रिझवानी,
प्रकाश कुमार तारानी,
(पार्टनर)
चोरहटा रीवा (म.प्र.).

(G-452)

नाम परिवर्तन

मैं, वीणा देवी तलरेजा पत्नि श्री जितेन्द्र तलरेजा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का बोलता नाम ज्योति तलरेजा था जो मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 200389917 में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मुझे वीणा देवी तलरेजा पत्नि श्री जितेन्द्र तलरेजा के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है और भविष्य में भी इसी नाम वीणा देवी तलरेजा पत्नि श्री जितेन्द्र तलरेजा से जानी पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी. अतः वीणा देवी तलरेजा और ज्योति तलरेजा दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र 200389917 में मेरा नाम ज्योति तलरेजा के स्थान पर वीणा देवी तलरेजा लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम
(ज्योति तलरेजा)

नया नाम
(वीणा देवी तलरेजा)
पत्नि श्री जितेन्द्र तलरेजा
पता–तारागंज पुल के पास, लश्कर ग्वालियर.

(G-453)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में मधुवन एसोसिएट (M/s MADHUVAN ASSOCIATES,) के नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्रं. 04–17–01–01–0239–17 है.

इस फर्म से दिनांक 03–09–2021 से एक भागीदार (1) श्री आदित्य चौहान पिता श्री उज्जवल सिंह चौहान, निवासी संतोषी माता वार्ड पांढुर्णा, तह. पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 03–09–2021 से एक भागीदार (1) श्री अजय विजयवरगी पिता श्री राघेश्याम बालकिशन विजयवरगी निवासी वार्ड नं. 40 वरदा रोड़, विवेकानन्द नगर नागपुर तह. एवं जिला नागपुर (महा.) शामिल हो रहे है. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 03–09–2021 से संशोधन उपरांत छः साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस 441 साउथ सिविल लाइन कुमार प्रिटिंग प्रेस के आगे, भारत मंगल भवन रोड़, छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है. सर्वसाधारण को सूचना हेतु जारी.

M/s MADHUVAN ASSOCIATES,
माधवी चौहान,
(पार्टनर)
Add- 441, South Civil Lines, Kumar Printing Press ke Aage,
Bharat Mangal Bhawan Road, Chhindwara (M.P.)

(G-454)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में आदित्य राज (M/s ADITYA RAJ) के नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्रं. 04–17–06–00026 है.

इस फर्म से दिनांक 21–01–2009 से दो भागीदार (1) श्री उज्जवल चौहान पिता श्री दशरथ सिंह चौहान, निवासी संतोषी माता वार्ड नं. 25 पांढुर्ण, तह. पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.), (2) श्री प्रवीण चौहान पिता श्री दशरथ सिंह चौहान, निवासी संतोषी माता वार्ड नं. 25 पांढुर्ण, तह. पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01–06–2021 से संशोधन उपरांत चार साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस संतोषी माता वार्ड नं. 25 पांढुर्णा तह. पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

सर्वसाधारण को सूचना हेतु जारी.

M/s ADITYA RAJ,
दशरथ सिंह चौहान,
(पार्टनर)
Add- Santoshimata Ward No. 25, Padhurna,
District Chhindwara (M.P.).

(G-455)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में आर्य कन्स्ट्रक्शन (M/s ARYA CONSTRUCTION) के नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्रं. 04–17–01–0037–19 है.

इस फर्म से दिनांक 06–10–2020 से एक भागीदार (1) श्री प्रशान्त पांडुरंगजी पराडकर पिता श्री पांडुरंगजी पराडकर निवासी 714 पोस्ट सिवनी पांढुर्णा तह. पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.), (2) श्री दीपक कालिया पिता श्री ओम प्रकाश कालिया निवासी प्रोफेसर कॉलोनी चिरकुलर रोड़ छिन्दवाड़ा, तह एण्ड जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.), (3) श्री गौरव पारिहर पिता श्री ब्रजकिशोर सिंह पारिहर, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एच.आई.जी. चन्दनगॉव छिन्दवाड़ा तह एण्ड जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 06–10–2020 से एक भागीदार (1) श्री आदित्य चौहान पति श्री उज्जवल सिंह चौहान

निवासी वार्ड नं. 25 संतोषी माता वार्ड पांढुर्णा तह. पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रहे है. उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 06–10–2020 से संशोधन उपरान्त भागीदारी फर्म में भागीदारी क्रं. 1 (श्री आदित्य चौहान) का भागीदारी प्रतिशत 50% एवं भागीदार क्रं. 2 (श्रीमति माधवी प्रवीण चौहान) का भागीदारी प्रतिशत 50% होगा. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 06–10–2020 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेगें. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस बोदरी नदी के पुल के पास नागपुर रोड़ छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है. सर्वसाधारण को सूचना हेतु जारी.

M/s ARYA CONSTRUCTION,
माधवी प्रवीण चौहान,
(पार्टनर)
Add- HIG 34, Near Bodri River Bridge,
Nagpur Road, Chandangaon, Chhindwara

(G-456)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में एम.पटेल मार्ट (M/s M. PATEL MART) के नाम से एक भागीदारी फर्म है.

इस फर्म से दिनांक 01 अप्रैल 2021 से दो भागीदार (1) श्री आनन्द राव पटेल पिता श्री सहदेव राव पटेल निवासी मेन रोड़ छोटी माता छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.), (2) श्रीमति कुसुम बाई पटेल पति श्री आनन्द राव पटेल निवासी मेंन रोड़ छोटीमाता मंदिर के पास छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे है एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01 अप्रैल 2021 से एक भागीदार (1) श्री सरवेश पटेल पिता श्री सुधीर पटेल निवासी मेंन रोड़ छोटीमाता मंदिर के पास छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रहे है. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01–04–2021 से संशोधन उपरांत चार साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस वार्ड न. 27 मेन रोड़ छोटीमाता मंदिर के पास छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

सर्वसाधारण को सूचना हेतु जारी.

M/s M. PATEL MART,
सुधीर पटेल,
(पार्टनर).

(G-457)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में एम.पटेल मार्ट (M/s M. PATEL MART) के नाम से एक भागीदारी फर्म है.

इस फर्म से दिनांक 01 अप्रैल 2017 से दो भागीदार (1) श्रीमती कुसुम बाई पटेल पति श्री आनन्द राव पटेल निवासी मेंन रोड़ छोटीमाता मंदिर के पास छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.), (2) कु. विशाखा पटेल पिता श्री सुधीर पटेल निवासी मेंन रोड़ छोटीमाता मंदिर के पास छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रहे है. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01 अप्रैल 2017 से संशोधन उपरांत पांच साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस वार्ड न. 27 मेन रोड़ छोटीमाता मंदिर के पास छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

सर्वसाधारण को सूचना हेतु जारी.

M/s M. PATEL MART,
सुधीर पटेल,
(पार्टनर)

(G-458)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में तिरूपति एसोसियेट्स (M/s TIRUPATI ASSOCIATES) के नाम से एक भागीदारी फर्म है.

इस फर्म से दिनांक 31 मार्च 2018 से दो भागीदार (1) श्री प्रशांत सोनी पिता श्री एन.पी. सोनी निवासी बरारीपुरा छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.), (2) श्री संदीप सोनी पिता श्री एन.पी. सोनी निवासी बरारीपुरा छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01 अप्रैल 2018 से संशोधन उपरांत चार साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस 20 पदम कॉम्प्लेक्स सिवनी रोड़ छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

सर्वसाधारण को सूचना हेतु जारी.

M/s TIRUPATI ASSOCIATES,
शोभित मिगलानी,
(पार्टनर)
Add- 20 Padam Complex, Seoni Road,
Chhindwada (M.P.).

(G-459)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में तिरूपति एसोसियेट्स (M/s TIRUPATI ASSOCIATES,) के नाम से एक भागीदारी फर्म है.

इस फर्म से दिनांक 31 मार्च 2021 से दो भागीदार (1) श्री राहुल अग्रवाल पिता श्री राजकुमार अग्रवाल, निवासी गांधी गंज छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.), (2) श्रीमती शशि अग्रवाल पति श्री राजकुमार अग्रवाल निवासी गांधी गंज छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01 अप्रैल 2021 से एक भागीदार (1) श्री सुनील मिगलानी पिता श्री बलदेव मिगलानी निवासी न्यू एक्टेशन एरिया नवभारत पेस के पास गांधी गंज छिन्दवाड़ा तह एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रहे है. उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01 अप्रैल 2021 ये संशोधन उपरान्त तीन साझेदार रहेंगें. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस 20 पदम कॉम्पलेक्स सिवनी रोड़ छिन्दवाड़ा तह एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है. सर्वसाधारण को सूचना हेतु जारी.

M/s TIRUPATI ASSOCIATES,
शोभित मिगलानी,
(पार्टनर)
Add- 20 Padam Complex, Seoni Road,
Chhindwada (M.P.).

(G-460)

जाहिर सूचना

सभी आम और खास को सूचित किया जाता है कि " मेसर्स शिव ओम ट्रेडिंग कंपनी " जिसका गठन 21 जून 1991 को इटारसी (मध्यप्रदेश) में हुआ था और पार्टनरशिप डीड दिनांक 12 मई 1992 के तहत दिनांक 18 अप्रैल 1995 को फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल में पंजीकृत हुई जिसका पंजीयन क्रमांक 22–95–96 रिकॉर्ड में दर्ज है. पार्टनरशिप डीड 12–05–1992 के तहत यह फर्म मैं तीन भागीदार थे. जिनका विवरण इस प्रकार है.

1. विनय कुमार मालपानी आत्मज स्वर्गीय हरिकिशन मालपानी, निवासी गुलाब बाग, बिहार.
2. मांगीलाल मालपानी आत्मज दुर्गादुत्त मालपानी, निवासी इटारसी, मध्यप्रदेश.
3. बेला देवी मालपानी पत्नी प्रदीप कुमार मालपानी, निवासी इटारसी, मध्यप्रदेश.

पार्टनरशिप डीड दिनांक 01–04–2009 को विनय कुमार मालपानी अपनी स्वैच्छा से रिटायर हुए और श्रीमती संजू मालपानी पत्नी मंगतू मालपानी, निवासी इटारसी को नए पार्टनर के रूप में भर्ती हुई.

01 अप्रैल 2009 से वर्तमान दिनांक तक " मेसर्स शिव ओम ट्रेडिंग कम्पनी " के 3 भागीदारी का विवरण इस प्रकार है:

1. मांगीलाल मालपानी आत्मज स्वर्गीय दुर्गादुत्त मालपानी, इटारसी.

2. बेला देवी मालपानी पत्नी प्रदीप कुमार मालपानी, इटारसी.

3. संजू मालपानी पत्नी मंगतू मालपानी, इटारसी.

SHIV OM TRADING COMPANY,

MANGLID MALPANI, **SANJOO MALPANI,** **BELA MALPANI**
(PARTNER/MANAGER) (PARTNER/MANAGER) (PARTNER/MANAGER)

सभी निवासी–वार्ड नं. 24, बजरंगपुर, इटारसी, मध्यप्रदेश 461111.

(G-461)

जाहिर सूचना

सभी आम और खास को सूचित किया जाता है कि " मेसर्स हनुमान दाल एंड ऑयल मिल्स " इटारसी का गठन 15 अप्रैल 1987 को हुआ था और जिसका पंजयीन 16 नवम्बर 1988–89 को पंजीयन क्रमांक 644–88–89 को फर्म्स और संस्थाएं, भोपाल मैं, पंजीकृत है. पार्टनरशिप डीड दिनांक 15 अप्रैल, 1987 के तहत् कुल 6 भागीदार इस प्रकार है:

1. जयनारायण मालपानी आत्मज कालूराम मालपानी, निवासी इटारसी, मध्यप्रदेश.

2. हरिकिशन मालपानी आत्मज कालूराम मालपानी, निवासी गुलाब बाग, बिहार.

3. जयकिशन मालपानी आत्मज कालूराम मालपानी, निवासी इटारसी, मध्यप्रदेश.

4. दुर्गादुत्त मालपानी आत्मज कालूराम मालपानी, निवासी इटारसी, मध्यप्रदेश.

5. प्रदीप कुमार मालपानी आत्मज जयकिशन मालपानी, निवासी इटारसी, मध्यप्रदेश.

6. उषा देवी मालपानी पत्नी राज कुमार मालपानी, निवासी गुलाब बाग, बिहार.

समय–समय पर पार्टनरशिप डीड मैं निम्नलिखित बदलाब किए गए है.

1. पार्टनरशिप डीड दिनांक 13 जून 1991 के तहत् पार्टनर जय नारायण मालपानी की मृत्यु 05 जून 1991 के उपरांत श्रीमती रेवती देवी मालपानी ने पार्टनर बनाने पर असमर्थता जताते हुए पार्टनर बनाने से इंकार कर अलग होने का फैसला लिया.

2. पार्टनरशिप डीड दिनांक 19 मई 1992 के तहत हरिकिशन मालपानी की मृत्यु 12 मई 1992 के उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती श्रीदेवी मालपानी नए भागीदारी के रूप में सम्मिलित हुई.

3. पार्टनरशिप डीड दिनांक 04 जून 2005 के तहत श्रीमती श्रीदेवी मालपानी की मृत्यु 03 जून 2005 के उपरांत उनके पुत्र राजकुमार मालपानी नए भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए.

4. पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल 2009 को जयकिशन मालपानी, दुर्गादुत्त मालपानी, उषा देवी मालपानी एवं राज कुमार मालपानी अपनी स्वेच्छा से अलग हुए और दो नए भागीदार मंगतू मालपानी अतमज दुर्गादुत्त मालपानी, इटारसी और कंचन मालपानी पत्नी मांगीलाल मालपानी, इटारसी सम्मिलित हुए.

दिनांक 01 अप्रैल 2009 से आज तक '' मैसर्स हनुमान दाल एंड ऑयल मिल्स'' फर्म के पार्टनर इस प्रकार है.

1. प्रदीप कुमार मालपानी आत्मज जय किशन मालपानी, निवासी इटारसी, मध्यप्रदेश.
2. मंगतू मालपानी आत्मज दुर्गादुत्त मालपानी, निवासी इटारसी, मध्यप्रदेश.
3. कंचन मालपानी पत्नी मांगीलाल मालपानी, निवासी इटारसी, मध्यप्रदेश.

HANUMAN DAL & OIL MILL,

PRADEEPKUMAR MALPANI, MANGTU MALPANI, KANCHAN MALPANI

(PARTNER/MANAGER) (PARTNER/MANAGER) (PARTNER/MANAGER)

(G-462) सभी निवासी–वार्ड नं. 24, बजरंगपुर, इटारसी, मध्यप्रदेश 461111.

नाम परिवर्तन

मेरे पेंशन दस्तावेजों में मेरा नाम ललती बाई अंकित है. जबकि आधारकार्ड व राशनकार्डनुसार मेरे नाम हरकुंअर हे दोनों मेरे नाम है भविष्य में मुझे हरकुंवर के नाम से जाना जाये, सूचनाकर्ता हरकुंअर पत्नी गोविन्द दास, निवासी गोविन्द मंदिर के पीछे वार्ड–24, कुम्हारो वाली गली दतिया.

पुराना नाम	नया नाम
(ललती बाई)	**(हरकुंवर)**
	श्रीमति हरकुंवर पत्नी–स्व. श्री गोविन्द दास,
	निवासी–गोविन्द मंदिर के पीछे वार्ड–24,
(G-463)	कुम्हारो वाली गली दतिया (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का पूर्व नाम सानिया खान को परिवर्तित कर नया नाम सानिया भारतीय, उम्र 12 वर्ष 02, मेरी गोल्ड, एम्पायर मेट्रो, शिशुकुज इण्टरनेशनल स्कूल, झलारिया रोड, बायपास इन्दौर मध्यप्रदेश हो गया है. इससे पूर्व मेरी पुत्री का नाम सानिया खान था. मैं, अपनी पुत्री का नाम सानिया भारतीय करा दिया गया है. मैं अपनी पुत्री का नाम समस्त दस्तावेजों में सानिया खान के स्थान पर सानिया भारतीय किया जावे.

अतः अब मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम सानिया खान लिखा है. उसे नया नाम सानिया भारतीय पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सानिया खान)	**(सानिया भारतीय)**

(G-464)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का पूर्व नाम अफ्शा खान को परिवर्तित कर नया नाम अहाना भारतीय, उम्र 12 वर्ष 02, मेरी गोल्ड, एम्पायर मेट्रो, शिशुकुज इण्टरनेशनल स्कूल, झलारिया रोड, बायपास इन्दौर मध्यप्रदेश हो गया है. इससे पूर्व मेरी पुत्री का नाम अफ्शा खान था. मैं, अपनी पुत्री का नाम अहाना भारतीय करा दिया गया है. मैं अपनी पुत्री का नाम समस्त दस्तावेजों में अफ्सा खान के स्थान पर अहाना भारतीय किया जावे.

अतः अब मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम अफ्सा खान लिखा है. उसे नया नाम अहाना भारतीय पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अफ्सा खान)	**(अहाना भारतीय)**

(G-465)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पूर्व नाम तहजीब खान को परिवर्तित कर नया नाम आर्यन भारतीय, उम्र 12 वर्ष 02, मेरी गोल्ड, एम्पायर मेट्रो, शिशुकुज इण्टरनेशनल स्कूल, झलारिया रोड, बायपास इन्दौर मध्यप्रदेश हो गया है. इससे पूर्व मेरे पुत्र का नाम तहजीब खान था. मैं, अपने पुत्र का नाम आर्यन भारतीय करा दिया गया है. मैं अपने पुत्र का नाम समस्त दस्तावेजों में तहजीब खान के स्थान पर आर्यन भारतीय किया जावे.

अतः अब मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम तहजीब खान लिखा है. उसे नया नाम आर्यन भारतीय पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम — नया नाम

(तहजीब खान) — **(आर्यन भारतीय)**

(G-466)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पूर्व नाम प्रिंस खान को परिवर्तित कर नया नाम प्रिंस भारतीय, उम्र 12 वर्ष 02, मेरी गोल्ड, एम्पायर मेट्रो, शिशुकुज इण्टरनेशनल स्कूल, झलारिया रोड, बायपास इन्दौर मध्यप्रदेश हो गया है. इससे पूर्व मेरे पुत्र का नाम प्रिंस खान था. मैं, अपने पुत्र का नाम प्रिंस भारतीय करा दिया गया है. मैं अपने पुत्र का नाम समस्त दस्तावेजों में प्रिंस खान के स्थान पर प्रिंस भारतीय किया जावे.

अतः अब मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम प्रिंस खान लिखा है. उसे नया नाम प्रिंस भारतीय पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम — नया नाम

(प्रिंस खान) — **(प्रिंस भारतीय)**

(G-467)

आम सूचना

तथा जिसमें दिनांक 01–04–2018 को Smt. Rukmanidevi W/o Shri Laxminarayan Ji Agrawal, Resident of 4/59, Rajasva Colony, Ujjain Dist. Ujjain Madhya Pradesh अपनी स्वेच्छा से फर्म मेसर्स सिंहल एन्टरप्राइजेज पता 29, तिलक मार्ग, उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश से पृथक हो गये हैं. उक्त दिनांक 01–04–2018 से इस फर्म मेसर्स सिंहल एन्टरप्राइजेज से Smt. Rukmanidevi W/o Shri Laxminarayan Ji Agrawal, पार्टनर (भागीदार) का कोई लेना देना नहीं है.

वर्तमान में इस फर्म मेसर्स सिंहल एन्टरप्राइजेज में निम्नानुसार भागीदार रह गये हैं.

1. Jagdish Agrawal
2. Ramadevi
3. Pawan Agrawal

मैसर्स सिंहल एन्टरप्राइजेज,
जगदीश अग्रवाल,
(पार्टनर)

(G-468)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/s SSKD FUEL CENTRE पता Khasra No. 281, 282, 283, Village Hinoti Sadak Karond, Bersia Road, Bhopal-462001 Madhya Pradesh- प. क्र. 01/01/02/0323/19 दिनांक 11–12–2019 को दिनांक 12–08–2021 को भंग कर दिया गया है.

M/s SSKD FUEL CENTER,
PRAPTI SAXENA,
(Partner)
G3/366, G/F Mahaveer Palace,
Gulmohar Colony, Trilanga Bhopal.

(G-469)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एसोसिएटेड वेंचर जिसका पता वार्ड न. 13, अलका टाकीज के पीछे नेहरूय वार्ड पिपरिया होशंगाबाद 461775 जिसका पंजीयन नम्बर 01/07/06/0281/19 दिनांक 08 नवम्बर 2019 है जिसमें दिनांक 01 अगस्त 2021 को फर्म में भागीदार श्री अतीक अहमद पिता शोएब अहमद निवासी 3/14–15 MGKDA कालोनी जज्म गंगाविहार श्रीवास टेलरी, कानपुर को नवीन भागीदार के रूप में सम्मलित किया गया एवं 01 अगस्त 2021 को भागीदार (1) श्री आनंद ताम्रकार पिता श्री राजेन्द्र ताम्रकार मनं. बी–23 कस्तूरबा नगर हुजूर भोपाल (2) श्री विजयकुमार सेन पिता श्री रामगोपाल सेन, म.नं. 39 वार्ड नं. 19 वरईपस जिला विदिशा स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो रहे हैं बाकी भागीदार यथावत रहेगें. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मैसर्स एसोसिएटेड वेंचर,
स्समीत सिंह,
(पार्टनर)
वार्ड नं. 13 अलका टाकीज के पीछे,
नेहरूय वार्ड पिपरिया 52 नहेरूय वार्ड,
अलका टॉकीज के पास पिपरिया.

(G-470)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म समर्पण इमेजिंग साल्युशनस पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0048/21 दिनांक 02 जुलाई 2021 के नाम से एक भागीदारी फर्म है, इस फर्म से एक भागीदार डॉ. मनीष जैन पिता श्री देवेन्द्र कुमार बोढ़ाना निवासी डी.एच. 196, स्कीम नम्बर 74–सी, विजय नगर, इन्दौर दिनांक 10 दिसम्बर 2016 से सेवानिवृत हो गये हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 10 दिसम्बर 2016 से संशोधन उपरान्त दो साझेदार क्रमशः डॉ. अमित तिवारी एवं डॉ. दिक्षा तिवारी रहे हैं. उक्त फर्म का पुराना रजिर्स्टड पता डी.एच. 196, स्कीम नम्बर 74–सी, विजय नगर, इन्दौर था जो दिनांक 10 दिसम्बर 2016 को मकान क्रमांक 2, प्लाट क्रमांक 155–जी–सी–एस 3एन बैंक ऑफ इंडिया के पास, स्कीम नम्बर 78, महिन्द्रा शोरूम के पास अरण्य नगर, इन्दौर पर हो गया. इसके पश्चात पुनः परिवर्तित होकर नया वर्तमान पता 15–20, तल मंजील, यशवंत प्लाजा, रेलवे स्टेशन के सामने, इन्दौर हो गया है. सर्वसाधारण को सूचना हेतु जारी.

For Samarpan Imaging Solutions ,
अमित तिवारी,
(भागीदार)

(G-471)

NOTICE

Publication u/s 72 of the Indian Partnership Act, 1932

It is published for general information that the partnership heretofore subsisting between Shri Ajay Bankda S/o Shri Shankarlal Bankda and Smt. Jyoti Bankda W/o Shri Ajay Bankda carrying on the business of constructions having Reg. No. 03-27-03-00049-08 at 309/12, Patnipura Main Road, Indore Th& Dist Indore (M.P.) under the name and style of M/s Pacific Enterprises is dissolved by mutual consent as from the 25th day of February, 2021.

For M/s Pacific Enterprises,

(Ajay Bankda)

(Jyoti Bankda)

(Partner),

(G-472)

नाम परिवर्तन

मैं, भावेश (BHAVESH) पिता श्री नरेन्द्र (NARENDRA) निवासी इंदिरा चौक, बोरगांव बुजुर्ग तहसील पंधाना जिला खंडवा मध्यप्रदेश सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी शैक्षणिक अंकसूचियों एवं आधार कार्ड में मेरा नाम भावेश पिता नरेन्द्र अंकित है. चूंकि मेरा पूरा नाम भावेश पटेल (BHAVESH PATEL) पिता श्री नरेन्द्र पटेल (NARENDRA PATEL) है. अतः मुझे भविष्य में भावेश पटेल (BHAVESH PATEL) पिता श्री नरेन्द्र पटेल (NARENDRA PATEL) के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

(भावेश)

(BHAVESH)

नया नाम

(भावेश पटेल)

(BHAVESH PATEL)

(G-473)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरिराम छाबड़िया पिता स्व. श्री इंदरमल छाबड़िया उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12, हाउस नं. बी/4 नजदीक एकेडमी चाइल्ड स्कूल, बालाजी पुरम बांधवगढ़ कालोनी सतना, तह. रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) का निवासी हूं. मैं अपना नाम हरिराम छाबड़िया की जगह हरीश छाबड़िया करना चाहता हूं उक्त नाम मैं अब अपने समस्त रिकार्डों व दस्तावेजों आदि में भी दर्ज करना चाहता हूं. मुझे आज दिनांक से हरीश छाबड़िया के नाम से जाना, समझा एवं लिखा–पढ़ा जाय.

भवदीय

(हरीश छाबड़िया)

(G-474)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम संदीप कुमार चौधरी आत्मज श्री बृज किशोर चौधरी मेरे मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., पेनकार्ड व राशन कार्ड में दर्ज है. जिसको मैंने परिवर्तित कर संदीप त्रिपाठी आत्मज श्री बृज किशोर चौधरी कर दिया है. अब मुझे मेरे नये नाम संदीप त्रिपाठी से ही मुझे जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम

(संदीप कुमार चौधरी)

आत्मज श्री बृज किशोर चौधरी

नया नाम

(संदीप त्रिपाठी)

आत्मज श्री बृज किशोर चौधरी,

पता–26, राजीव गांधी नगर, अयोध्या

बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.).

(G-475)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पूर्व के शासकीय दस्तावेज, मार्कसीट में मेरा नाम ब्रजेश सराठे आ. श्री जगदीश सराठे लिखा है, मैंने अपने पूर्व के उपनाम को परिवर्तित कर ब्रजेश मिश्रा (BRAJESH MISHRA) कर लिया है, अब मुझे सभी व्यक्ति मेरे कर ब्रजेश मिश्रा नाम जानते हैं. मेरे शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा (BRAJESH MISHRA) लिखा पड़ा जावे.

पुराना नाम
(ब्रजेश सराठे)
आ. श्री जगदीश सराठे

नया नाम
(ब्रजेश मिश्रा)
(BRAJESH MISHRA)
आ. श्री जगदीश सराठे,

(G-476)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री शिखा का नाम स्कूल रिकॉर्ड में गलती से शिखा माहोर दर्ज हो गया है जोकि गलत है. मेरी पुत्री का सही व वास्तविक नाम शिखा है. आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि में भी शिखा नाम दर्ज है. भविष्य में मेरी पुत्री को इसी सही नाम से जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम
(शिखा माहोर)

नया नाम
(शिखा)
पुत्री रेखा
निवासी– म.नं. 25 गली नं. 5, द्वारका नगर,
कोच फैक्ट्री रोड, भोपाल.

(G-477)

नाम परिवर्तन

मेरा एक मात्र पुत्र सिद्धार्थ है, जिसका सभी अभिलेखों एवं दस्तावेजों में नाम हिंदी में सिद्धार्थ सिंह भदौरिया, English में Siddharth Singh Bhadoria पढ़ा और माना जावे.

सूचनाकर्ता– राजीव सिंह भदौरिया, ग्राम व पोस्ट अकोड़ा, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश Pin - 477332.

भवदीय,
राजीव सिंह भदौरिया
ग्राम व पोस्ट अकोड़ा, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश.

(G-478)

विविध

न्यायालय की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0001–बी–113(1)–2020–21. खण्डवा, दिनांक 26 अगस्त 2021 को जारी

प्रारूप–चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

जैसाकि श्री प्रमोद कुमार पिता व्दारकादास काकाणी निवासी खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन–पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 16 सितम्बर 2021 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	श्री खाटूश्याम लोक न्यास (ट्रस्ट), खण्डवा,
चल सम्पत्ति	:	1,43,000/– रुपये नगदी
अचल सम्पत्ति	:	निरक.

डॉ. ममता खेड़े, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास.

(G-479)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास अनुभाग राऊ–इन्दौर, जिला इन्दौर

क्र.–593–री.राऊ–2021 इन्दौर, दिनांक 27 मार्च 2021

सूचना–पत्र

(फार्म–चार)

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस–1951) की धारा–4 के अंतर्गत अखिल भारतीय बीसानी पंचायत परमार्थ ट्रस्ट को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	अखिल भारतीय बीसानी पंचायत परमार्थ ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय–101, श्रीकृष्णा सॉलिटेयर पार्क, 32–ए, सेक्टर–सी, स्कीम नंबर 71, फूटीकोठी चौराहा, तहसील व जिला इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/–

आज दिनांक 27 मार्च, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

....., अनुविभागीय अधिकारी.

(G-480)

कार्यालय, लोक न्यास, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड जतारा, जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश)

क्र.–0001–ब–113–2020–21–896 दिनांक 21 जून 2021

सूचना–पत्र

प्ररूप–पांच

[नियम–5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951, (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम–5 का उपनियम (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) जिले के समक्ष.

क्योंकि मुझे प्रतीत होता कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा–2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, डॉ. सौरभ सोनवणे, अनु. अधिकारी उपखण्ड जतारा, जिला टीकमगढ़ का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 22 जुलाई 2021 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

क्रमांक	लोक न्यास का नाम और पता	सम्पत्ति का वर्णन
1.	श्री श्री ठाकुर रामचन्द्र जी महाराज पब्लिक ट्रस्ट कांकनपुरा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ., (म.प्र.)	काकनपुरा स्थित भूमि रकवा 12.150 हे. एवं मंदिर पूजा सामग्री

....., पंजीयक एवं अनुभाग अधिकारी.

(G-481)

कार्यालय, रजिस्ट्रार आफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, सारंगपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 01–बी–113–2021–22.

प्रारूप–पांच

[देखिए नियम–5 (1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5(1) व 5 (2) के अंतर्गत]

समक्ष–पंजीयक लोक न्यास सारंगपुर, जिला राजगढ़ के समक्ष.

आवेदक प्रबंधक डॉ. दीपचंद सुराना पिता रतनलाल जी सुराना, निवासी सुराना नर्सिंग होम, एम जी रोड, शुजालपुर मंडी एवं सुरेशचंद्र पिता खेमराज जी रांका, निवासी राममनोहर लोहिया मार्ग, शुजालपुर मंडी तहसील (मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 2 की उपधारा 4 के अभिप्राय के लिये शुजालपुर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश के लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिये श्री श्वेतांबर मूर्तिपूजक ओसवाल समाज तीर्थकर भगवान चंद्रप्रभू जैन मंदिर तलेन के पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है. उक्त ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है जिस पर दिनांक..... मेरे विचार में लिया जाये.

उक्त लोक न्यास एवं चल–अचल संपत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने से एक माह के अंदर स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

1. न्यास का मुख्यालय	:	श्वेतांबर मूर्ति पूजक ओसवाल समाज तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभू जैन मंदिर शुजालपुर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश.
2. कार्यक्षेत्र	:	शुजालपुर के अतिरिक्त तलेन.
3. न्यास का उद्देश्य	:	धार्मिक एवं पारमार्थिक
4. न्यास के आय के साधन	:	दान, बोली, चढावा, धर्मशाला का किराया आदि.

चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है

टप्पा तहसील तलेन स्थित भूमि सर्वे नंबर 1466 रकबा 1.075 हैक्टर और सर्वे नंबर 1466/1 एवं मणिभद्र देव की 24 अष्टधातु की प्रतिमाएं, बर्तन, पूजन सामग्री जिसमें चंवर, छत्र, घंटी, घंटाल, आरती की थाली तथा आरती का पात्र कुल मूल्य 50 हजार रुपये, पूजन की लकड़ी का पाठ, लकड़ी की चौकी मूल्य 50 हजार रुपये.

पेशी दिनांक 13 सितम्बर 2021.

राकेश मोहन त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-482)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिहोरा, जिला जबलपुर

क्र. 681–प्रवा.1–अविअ–2021. सिहोरा, दिनांक 4 अगस्त 2021

इश्तहार

फार्म–4

[देखिए नियम–5 (1) एवं 5(2)]

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि, आवेदक प्रताप सिंह लोधी पिता दुलीचंद लोधी, निवासी गौरहा भिटौनी, तहसील मझौली, जिला जबलपुर के द्वारा लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत ग्राम गौरहा भिटोनी, तहसील मझौली में

स्थित श्री शंकर जी मंदिर को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किए जाने हेतु आवेदन निम्नलिखित जानकारी सहित प्रस्तुत किया गया है, जो कि इस न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2021 को विचार में लिया जावेगा.

1. नाम – इस ट्रस्ट का नाम श्री प्रयागनंद गुरूजी परमनंद भारती लोक कल्याण न्यास गौरहा रहेगा.
2. स्थान – यह न्यास श्री शंकर जी मंदिर ग्राम गौरहा भिटोनी पोस्ट दर्शनी, तहसील मझौली, जिला जबलपुर में स्थित है.
3. न्यास का कार्य क्षेत्र संपूर्ण जबलपुर जिला होगा.
4. ट्रस्टीगण जो निम्नानुसार हैं:– मुख्य ट्रस्टी
   1. प्रतापसिंह लोधी
   2. सुरेश लोधी
   3. अनिल बर्मन
   4. रामचरण लोधी
   5. कुसुमसिंह
   6. रामभरोस लोधी
   7. सुखमान लोधी
   8. गुलाब लोधी
   9. संतराम लोधी
   10. गुलाब सिंह लोधी
5. पदाधिकारियों के दायित्वः– अध्यक्ष–न्यास का प्रमुख व मुखिया होगा. जो संरक्षक/संस्थापक में से ही चयन किया जावेगा.

   उपाध्यक्ष–दो पद जो संरक्षक/संस्थापक एवं आजीवन सदस्यों में से चयन किए जा सकेंगे.

   कोषाध्यक्ष–एक पद जो संरक्षक/संस्थापक या आजीवन सदस्यों में से ही चयन किया जावेगा.

   सचिव/व्यवस्थापक–एक पद जो संरक्षक/संस्थापक या आजीवन सदस्यों में से ही चयन किया जावेगा.

   सह–सचिव–एक पद जो संरक्षक/संस्थापक या आजीवन सदस्यों में से ही होगा.

   अन्य न्यासी/कार्यकारणी सदस्य–दस पद न्यासी या कार्यकारणी सदस्यों की संख्या दस रहेगी. जो पदाधिकारियों की संख्या से अतिरिक्त होगी जो कुल संख्या पन्द्रह होगी.
6. मुख्य ट्रस्टी– अध्यक्ष मुख्य ट्रस्टी होगा जो न्यासियों की राय लेकर न्यास व मंदिर के हित में कार्य करेगा.
7. कार्यालय– श्री शंकर जी मंदिर गौरहा भिटोनी पोस्ट दर्शनी, तहसील मझौली, जिला जबलपुर होगा.
8. उद्देश्य– श्री प्रयागनंद गुरुजी परमनंद भारती जी महाराज के जीवनकाल में अर्जित संपत्ति मंदिर आदि का संरक्षण करना उसके बाद वृद्धि व विकास करना.
9. निर्वाचन– न्यास कार्यकारणी के किसी भी सदस्य जो किसी भी कारणों से रिक्त होगी. उसके एक माह के अंदर बैठक कर एक राय से न्यासियों की सहमति के आधार पर नये व्यक्ति को रिक्त पद पर चयन किया जावेगा.
10. सदस्यता की समाप्ति– किसी भी श्रेणी की सदस्यता निम्न कारणों से समाप्त की जा सकेगी. मृत्यु हो जाने पर, दिवालिया घोषित हो जाने पर, त्याग पत्र देने पर व उसके स्वीकार हो जाने पर, आपराधिक कार्यों में लिप्त पाए जाने पर, मंदिर व न्यास की सम्पत्ति खुर्द–बुर्द करने या नुकसान पंहुचाने पर या विरोध में कार्य करने पर.
11. बैठक – आवश्यकतानुसार न्यास की विधान नियमावली में संशोधन न्यास की आम बैठक में दो तिहाई से प्रस्ताव पारित कर किया जावेगा.

12. आय व्यय का ब्यौरा– न्यास की चल संपत्ति नगदी सुरक्षित रखने हेतु खाता खोला जायेगा. जिसका संचालन न्यास की कार्यकारणी में तीन न्यासियों द्वारा किया जावेगा. इन तीन पदाधिकारियों में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाते में जमा राशि का आहरण न्यास के द्वारा संचालित कार्यों हेतु किया जावेगा.

13. अचल सम्पत्ति– ग्राम गौरहा भिटोनी प.ह.नं. 71 रा.नि.म. पौंड़ा, तहसील मझौली में स्थित भूमि खसरा नंबर 201, 2513, 35, 168 रकबा क्रमशः 0.96, 0.57 हे.

उपरोक्तानुसार ट्रस्ट के पंजीयन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्तियां, सुझाव प्रस्तुत करना हो जो वह अपने आपत्ति या सुझाव लिखित में दो प्रतियों में दिनांक 01 सितम्बर 2021 को या इसके पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के समाप्ति पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 04 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सीलमुद्रा से जारी किया गया.

(G-483)

क्र. 682–प्रवा.1–अविअ–2021.

इश्तहार

फार्म–4

[देखिए नियम–5 (1) एवं 5(2)]

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि, आवेदक श्री महंत किशोरीशरण पिता गुरू स्व. महंत लक्ष्मणशरण श्री हनुमान बाग पचपेढ़ी पोंडीकला, तहसील मझौली, जिला जबलपुर के द्वारा लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत ग्राम पोंडीकला, तहसील मझौली में स्थित श्री हनुमान बाग पचपेढ़ी मंदिर को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किए जाने हेतु आवेदन निम्नलिखित जानकारी सहित प्रस्तुत किया गया है जो कि इस न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 4 अगस्त 2021 को विचार में लिया जावेगा.

1. नाम – इस ट्रस्ट का नाम श्री हनुमान जी महाराज सेवा समिति पोंडीकला रहेगा.
2. स्थान – यह न्यास श्री हनुमान बाग पंचपेढ़ी पोंडीकला पोस्ट ऑफिस पौंडा, तहसील मझौली, जिला जबलपुर में स्थित हैं.
3. ट्रस्टीगण जो निम्नानुसार हैं:– मुख्य ट्रस्टी
   1. महंत किशोरीशरण पिता गुरू श्री महंत लक्ष्मणशरण (सखी बाबा)
   2. जया गौतम पति सोमदत्त गौतम
   3. सुनील पटेल पिता निरंजन प्रसाद पटैल
   4. अनिल खरया पिता राजेन्द्र प्रसाद खरया
   5. रमेश पटैल पिता रामस्वरूप पटैल
   6. सुनील साहू पिता दशरथ प्रसाद साहू
   7. मुकेश मिश्रा पिता रामभैया मिश्रा
   8. प्रशांत परौहा पिता नंदलाल परौहा
   9. अरविंद पटैल पिता विजेन्द्र कुमार
   10. सोमदत्त गौतम पिता बृजमोहन प्रसाद
   11. वीरेन्द्र पटैल पिता रामजी पटैल
   12. वीरेन्द्र राजपूत पिता गयाप्रसाद राजपूत
   13. सुनील तिवारी पिता जे. पी. तिवारी
   14. रमाकांत काछी पिता मौजीलाल काछी

4. पदाधिकारियों के दायित्वः– अध्यक्ष–न्यास का प्रमुख व मुखिया होगा. न्यासियों की राय लेकर न्यास व मंदिर के हित में वह सभी कार्य करेगा, जो कि न्यास व मंदिर के हित में होगा.

उपाध्यक्ष–अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह सभी कार्य करेगा जो अध्यक्ष के हो.

कोषाध्यक्ष–न्यास व मंदिर की सभी संपत्तियों का लेखा–जोखा सचिव की मदद लेकर रखेगा तथा आय–व्यय का ब्यौरा न्यास की बैठकों में न्यासियों को देगा तथा नियमित रोकड़ बही लिखेगा.

सचिव/व्यवस्थापक–न्यास की बैठकों की कार्यवाही, न्यासियों की बैठकें अध्यक्ष की राय लेकर बुलाने, सभी संपत्तियों का ब्यौरा रखने, पत्र–व्यवहार करने आदि का दायित्व का निर्वहन करेगा तथा न्यास द्वारा तय किए गए कार्यों का संचालन करेगा.

सह–सचिव–सचिव की अनुपस्थिति में वह सभी कार्य करेगा जो सचिव के हों.

अन्य न्यासी/कार्यकारणी सदस्य–न्यास की सभी बैठकों में उपस्थित होकर न्यास/मंदिर के हित में अपनी राय देंगे तथा जो जिम्मेदारी दी जायेगी उसे निभाएंगे.

5. मुख्य ट्रस्टी– अध्यक्ष मुख्य ट्रस्टी होगा जो न्यासियों की राय लेकर न्यास व मंदिर के हित में कार्य करेगा.
6. कार्यालय– श्री हनुमान बाग पंचपेढ़ी पोंड़ीकलां पोस्ट ऑफिस पौंडा, तहसील मझौली, जिला जबलपुर होगा.
7. उद्देश्य– महाराज श्री श्री 1008 महंत लक्ष्मणशरण जी महाराज (सखी बाबा) के जीवनकाल में अर्जित चल एवं अचल सपत्ति का संरक्षण करना उसके तथा उसके बाद वृद्धि एवं विकास करना.
8. निर्वाचन– न्यास कार्यकारणी के किसी भी सदस्य जो किसी भी कारणों से रिक्त होगी. उसके एक माह के अंदर बैठक कर एक राय से न्यासियों की सहमति के आधार पर नये व्यक्ति को रिक्त पद पर चयन किया जावेगा.
9. सदस्यता की समाप्ति– किसी भी श्रेणी की सदस्यता निम्न कारणों से समाप्त की जा सकेगी. मृत्यु हो जाने पर, दिवालिया घोषित हो जाने पर, त्याग पत्र देने पर व उसके स्वीकार हो जाने पर, आपराधिक कार्यों में लिप्त पाए जाने पर, मंदिर व न्यास की सम्पत्ति खुर्द–बुर्द करने या नुकसान पंहुचाने पर या विरोध में कार्य करने पर.
10. बैठक – आवश्यकतानुसार न्यास की विधान नियमावली में संशोधन न्यास की आम बैठक में दो तिहाई से प्रस्ताव पारित कर किया जावेगा.
11. आय व्यय का ब्यौरा– न्यास की चल संपत्ति नगदी सुरक्षित रखने हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा पौंड़ा में खाता खोला जायेगा. जिसका संचालन न्यास की कार्यकारणी में तीन न्यासियों (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष) द्वारा किया जावेगा. इन तीन पदाधिकारियों में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाते में जमा राशि का आहरण न्यास के द्वारा संचालित कार्यों हेतु किया जावेगा. महंत किशोरीशरण के पास नगद उपलब्ध राशि 30000/– रुपये (अंकन तीस हजार रुपये) व भगवान को पहनने वाले आभूषण छत्र चांदी के 1 कि. ग्रा.
12. अचल सम्पत्ति – ग्राम पौंड़ीकला प.ह.नं. 61 रा.नि.मं. पौंड़ा, तहसील मझौली में स्थित भूमि खसरा नंबर 426, 702, 428, 659, 703 रकबा क्रमशः 0.020, 0.260, 0.580, 0.560, 0.260 हे.

उपरोक्तानुसार ट्रस्ट के पंजीयन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपित्तयां, सुझाव प्रस्तुत करना हो जो वह अपने आपत्ति या सुझाव लिखित में दो प्रतियों में दिनांक 01 सितम्बर 2021 को या इसके पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के समाप्ति पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 04 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सीलमुद्रा से जारी किया गया.

आशीष पाण्डे, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(G-484)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास अधिकारी (राजस्व), तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0001–बी–113–2020–21. बड़नगर, दिनांक 18 फरवरी 2021

प्रारूप क्रमांक–4

[देखें नियम 5 (1)]

सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास 1962 के नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

यहकि अटल संकल्प सेवा संस्था, बड़नगर के वर्तमान कार्यकारी मुख्य प्रबंध ट्रस्टी, विनायक पिता विरेन्द्र कोठारी आदि, निवासी 445, एम.जी. रोड, बड़नगर (अध्यक्ष) द्वारा प्रारूप 4 के ट्रस्ट विधान के अन्तर्गत अटल संकल्प सेवा संस्था ट्रस्ट का विधिवत् रजिस्ट्रेशन किये जाने हेतु आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 18 फरवरी 2021 के 30 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

अतः मैं, अटल संकल्प सेवा संस्था ट्रस्ट, बड़नगर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 18 फरवरी 2021 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्याय या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	अटल संकल्प सेवा संस्था
पता	:	बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
चल सम्पत्ति	:	25,000/–
अचल सम्पत्ति	:	निरंक (शून्य)

डॉ. योगेश तुकाराम भरसट, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-485)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी, इन्दौर क्षेत्र, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र. – –रीडर–1–2021. जूनी, इन्दौर, दिनांक 28 जुलाई 2021

फार्म चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''पेस्ट कण्ट्रोल डेवलेपमेंट कॉउन्सिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट, इन्दौर'', पता– 1130, सेकण्ड फ्लोर, इंडस सेटेलाईट जक्शन, देवास नाका, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह, अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल सम्पत्ति का विवरण)

''पेस्ट कण्ट्रोल डेवलेपमेंट कॉउन्सिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट, इन्दौर'', पता– 1130, सेकण्ड फ्लोर, इंडस सेटेलाईट जक्शन, देवास नाका, इन्दौर, मध्यप्रदेश.

अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	निरंक

आज दिनांक . . . . . .को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार.

(G-486)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन जिला उज्जैन

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

उज्जैन, दिनांक 16 जून 2021

क्र.–परि–2021–952.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परिसमापन–4485 उज्जैन दिनांक 29 दिसम्बर 2015 द्वारा पंचरत्न साख सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1768 दिनांक 9 मई 2011 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री व्ही. के. जोशी पद उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16 जून 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-487)

क्र.–परि–2021–953.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परिसमापन–2825 उज्जैन दिनांक 23 अगस्त 2017 द्वारा दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्या. चिंतामण जवासिया, उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1903 दिनांक 13 नवम्बर 2014 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री व्ही. डी. जडे पद उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16 जून 2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-487)

उज्जैन, दिनांक 24 जून 2021

क्र.–परि–2021–973.– इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी संस्थाएं, अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत नीचे उल्लेखित संस्थाओं को अंकेक्षण नहीं कराये जाने के कारण, कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम/पद (4)
1.	जय किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. डावलासिया.	DR/UJN/2182/20-05-2015	श्री जी. के. परसाई (उप अंकेक्षक)
2.	दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बरखेडाखुर्द.	DR/UJN/2300/27-10-2016	श्री जी. के. परसाई (उप अंकेक्षक)
3.	बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जगोटी.	DR/UJN/2050/10-02-2015	श्री जी. के. परसाई (उप अंकेक्षक)
4.	माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कडछा.	DR/UJN/2012/12-01-2015	श्री जी. के. परसाई (उप अंकेक्षक)
5.	जिम्मदार बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. ढाबलाहरदु.	DR/UJN/2062/16-03-2015	श्री जी. के. परसाई (उप अंकेक्षक)
6.	मनकामेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. नांदेड.	DR/UJN/2061/22-02-2015	श्री जी. के. परसाई (उप अंकेक्षक)
7.	महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बरोठिया.	DR/UJN/2059/25-02-2015	श्री जी. के. परसाई (उप अंकेक्षक)
8.	जनता महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या. तराना.	DR/UJN/1690/14-07-2006	श्री जी. के. परसाई (उप अंकेक्षक)
9.	उमिया बीज सहकारी संस्था मर्या. कचनारिया.	DR/UJN/2107/17-07-2015	श्री जी. के. परसाई (उप अंकेक्षक)
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या. बरखेड़ा.	DR/UJN/578/03-04-1982	श्री जी. के. परसाई (उप अंकेक्षक)

कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का संस्था के पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूं, तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक तत्काल संस्था का संपूर्ण चार्ज प्राप्त कर कार्यालय को अवगत कराकर चार्ज लिस्ट प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जून 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-487)

क्र.–परि–2021–974.– इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी संस्थाएं, अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत नीचे उल्लेखित संस्थाओं को अंकेक्षण नहीं कराये जाने के कारण, कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम/पद (4)
1.	यथार्थ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बलेडी.	DR/UJN/2068/06-04-2015	श्रीमती हेमलता चंदेल (सह. निरीक्षक)
2.	श्री परसराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पासलौद.	DR/UJN/1943/15-12-2014	श्रीमती हेमलता चंदेल (सह. निरीक्षक)
3.	सिद्धी विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बोडानी.	DR/UJN/2031/22-01-2015	श्रीमती हेमलता चंदेल (सह. निरीक्षक)
4.	जय श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. गोठडा.	DR/UJN/2047/02-02-2015	श्रीमती हेमलता चंदेल (सह. निरीक्षक)
5.	विजय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बाढकुम्मेद.	DR/UJN/2229/22-01-2015	श्रीमती हेमलता चंदेल (सह. निरीक्षक)
6.	श्री पार्वती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मंगरोला.	DR/UJN/2056/20-02-2015	श्रीमती हेमलता चंदेल (सह. निरीक्षक)
7.	देवकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. गोंदिया.	DR/UJN/2109/17-07-2015	श्रीमती हेमलता चंदेल (सह. निरीक्षक)
8.	माँ सृजन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मुल्लापुरा.	DR/UJN/2057/20-02-2015	श्रीमती हेमलता चंदेल (सह. निरीक्षक)
9.	अनुभव रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन.	DR/UJN/1609/30-03-2003	श्रीमती हेमलता चंदेल (सह. निरीक्षक)
10.	केसरी नंदन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. ताजपुर.	DR/UJN/2044/28-01-2015	श्रीमती हेमलता चंदेल (सह. निरीक्षक)
11.	पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बन्दरखॉ बेरसिया.	DR/UJN/2192/21-08-2015	श्रीमती हेमलता चंदेल (सह. निरीक्षक)
12.	अपूर्व बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. नीलकंठ फतियाबाद.	DR/UJN/2208/04-09-2015	श्रीमती हेमलता चंदेल (सह. निरीक्षक)

कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का संस्था के पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूं, तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूं, परिसमापक तत्काल संस्था का संपूर्ण चार्ज प्राप्त कर कार्यालय को अवगत कराकर चार्ज लिस्ट प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जून 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-487)

उज्जैन, दिनांक 25 जून 2021

क्र.–परि–2021–978.– इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी संस्थाएं, अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत नीचे उल्लेखित संस्थाओं को अंकेक्षण नहीं कराये जाने के कारण, कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम/पद (4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. खण्डवासुरा	DR/UJN/672/06-04-1989	श्री एन. पी. बहोरे (सह. निरीक्षक)
2.	महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्या. पासलौद.	DR/UJN/2074/25-05-2015	श्री एन. पी. बहोरे (सह. निरीक्षक)
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मसवाड़िया	DR/UJN/761/06-04-1984	श्री एन. पी. बहोरे (सह. निरीक्षक)
4.	बजरंग बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. किठोरा.	DR/UJN/1952/22-12-2014	श्री एन. पी. बहोरे (सह. निरीक्षक)
5.	राजकुमार बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. ईटावा.	DR/UJN/1953/22-12-2014	श्री एन. पी. बहोरे (सह. निरीक्षक)
6.	केशव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. आंजदा.	DR/UJN/1978/01-01-2015	श्री एन. पी. बहोरे (सह. निरीक्षक)
7.	चम्बल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अमलावदाकलां.	DR/UJN/2004/12-01-2015	श्री एन. पी. बहोरे (सह. निरीक्षक)
8.	बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. चिकली.	DR/UJN/2013/12-01-2015	श्री एन. पी. बहोरे (सह. निरीक्षक)

कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का संस्था के पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूं, तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक तत्काल संस्था का संपूर्ण चार्ज प्राप्त कर कार्यालय को अवगत कराकर चार्ज लिस्ट प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 25 जून 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-487)

क्र.–परि–2021–979.– इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी संस्थाएं, अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत नीचे उल्लेखित संस्थाओं को अंकेक्षण नहीं कराये जाने के कारण, कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम/पद (4)
1.	सांवरिया बीज सहकारी संस्था मर्या. नवादा	DR/UJN/1962/27-10-2015	श्री शांतिलाल चौहान (सह. निरीक्षक)
2.	शिव गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. आक्याजागीर.	DR/UJN/2037/21-01-2015	श्री शांतिलाल चौहान (सह. निरीक्षक)
3.	पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मालीखेडा.	DR/UJN/1965/27-12-2015	श्री शांतिलाल चौहान (सह. निरीक्षक)
4.	महाशक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. रूपेटा.	DR/UJN/2181/20-08-2015	श्री शांतिलाल चौहान (सह. निरीक्षक)
5.	दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्या. महू	DR/UJN/2298/22-02-2016	श्री शांतिलाल चौहान (सह. निरीक्षक)
6.	श्री कृष्ण प्राथ. उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या. नागदा.	DR/UJN/1584/16-11-2001	श्री शांतिलाल चौहान (सह. निरीक्षक)
7.	आदिवासी मालवा मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या. नागदा.	DR/UJN/1066/01-10-1992	श्री शांतिलाल चौहान (सह. निरीक्षक)
8.	श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मर्या. चंदवासला.	DR/UJN/1976/30-12-2014	श्री शांतिलाल चौहान (सह. निरीक्षक)

कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का संस्था के पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूं, तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूं, परिसमापक तत्काल संस्था का संपूर्ण चार्ज प्राप्त कर कार्यालय को अवगत कराकर चार्ज लिस्ट प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 25 जून 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-487)

उज्जैन, दिनांक 1 जुलाई 2021

क्र.–परि–2021–1056.–कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परिसमापन–576 उज्जैन दिनांक 25 फरवरी 2016 द्वारा महिदपुर साख सहकारी संस्था मर्या. महिदपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 121 दिनांक 14 मई 2010 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेन्द्र वर्मा पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 1 जुलाई 2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

G-34

क्र.–परि.–2021–1057.–कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परिसमापन–3561 उज्जैन दिनांक 8 दिसम्बर 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. निनौरा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2114, दिनांक 25 जुलाई 2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 1 जुलाई 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-487)

उज्जैन, दिनांक 2 जुलाई 2021

क्र.–परि–2021–1072.– इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत नीचे उल्लेखित संस्थाओं को अंकेक्षण नहीं कराये जाने के कारण, कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था क्यों न संस्था को म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम / पद (4)
1.	जय मातादी बीज उत्पादक सहकारी संस्था	DR/UJN/2171/20-08-2015	श्रीमती प्रेरणा जांभेकर (उप अंकेक्षक)
2.	जय माँ भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था हिडी.	DR/UJN/2194/21-08-2015	श्रीमती प्रेरणा जांभेकर (उप अंकेक्षक)
3.	जय किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था बोरखेडा.	DR/UJN/2172/20-06-2015	श्रीमती प्रेरणा जांभेकर (उप अंकेक्षक)
4.	जय बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था गुराडिया पित्रामल.	DR/UJN/2098/20-08-2015	श्रीमती प्रेरणा जांभेकर (उप अंकेक्षक)

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था झिरन्या	DR/UJN/2278/17-11-2015	श्रीमती प्रेरणा जांभेकर (उप अंकेक्षक)
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था भाखेड़ा	DR/UJN/2252/01-10-2015	श्रीमती प्रेरणा जांभेकर (उप अंकेक्षक)

कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का संस्था के पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूं, तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक तत्काल संस्था का संपूर्ण चार्ज प्राप्त कर मैं, कार्यालय को अवगत कराकर, चार्जलिस्ट प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 2 जुलाई 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-487)

क्र.–परि.–2021–1065.– इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी संस्थाएं, अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत नीचे उल्लेखित संस्थाओं को अंकेक्षण नहीं कराये जाने के कारण, कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये :–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम/पद (4)
1.	जय बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. चौरबासा.	DR/UJN/2226/12-09-2015	श्री विनोद रावल (उप अंकेक्षक)
2.	श्री कृष्ण सुदामा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. नारायणा.	DR/UJN/2129/04-08-2015	श्री विनोद रावल (उप अंकेक्षक)
3.	माँ बिजासन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पलवा.	DR/UJN/2039/22-01-2015	श्री विनोद रावल (उप अंकेक्षक)
4.	बडेश्वरी बीज उत्पादकं सहकारी संस्था मर्या. बोरखेडानाड.	DR/UJN/2011/12-01-2015	श्री विनोद रावल (उप अंकेक्षक)
5.	सिद्धेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जवासियापंथ.	DR/UJN/2270/07-10-2015	श्री विनोद रावल (उप अंकेक्षक)
6.	शेरपुर बालोदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बालोदा.	DR/UJN/2049/02-02-2015	श्री विनोद रावल (उप अंकेक्षक)
7.	हनुमान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जोड्यालख्खा.	DR/UJN/2052/02-02-2015	श्री विनोद रावल (उप अंकेक्षक)
8.	संजीवनी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. साखिरिया	DR/UJN/1972/30-12-2014	श्री विनोद रावल (उप अंकेक्षक)

कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का संस्था के पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूं, तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूं, परिसमापक तत्काल संस्था का संपूर्ण चार्ज प्राप्त कर कार्यालय को अवगत कराकर चार्जलिस्ट प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 2 जुलाई 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-487)

क्रं.–परि.–2021–1074.– इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत नीचे उल्लेखित संस्थाओं को अंकेक्षण नहीं कराये जाने के कारण, कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र. एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम/पद (4)
1	जय महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरखेडी.	DR/UJN/1979/01-01-2015	श्री आर.बी.कनकने (उप. अंकेक्षक)
2	गजानन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लम्बीखेडी.	DR/UJN/2040/28-01-2015	श्री आर.बी.कनकने (उप. अंकेक्षक)
3	मालीखेडी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुरचन्या.	DR/UJN/2136/04-08-2015	श्री आर.बी.कनकने (उप. अंकेक्षक)
4	मॉ आशापुरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनोरिया.	DR/UJN/2166/20-08-2015	श्री आर.बी.कनकने (उप. अंकेक्षक)
5	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पेटलावद.	DR/UJN/2179/20-08-2015	श्री आर.बी.कनकने (उप. अंकेक्षक)
6	प्रगतिशील बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोंगराखेडा.	DR/UJN/2185/20-08-2015	श्री आर.बी.कनकने (उप. अंकेक्षक)
7	महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नलखेडा.	DR/UJN/2187/20-08-2015	श्री आर.बी.कनकने (उप. अंकेक्षक)
8	अटल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिनपुरा.	DR/UJN/2197/21-08-2015	श्री आर.बी.कनकने (उप. अंकेक्षक)

कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का संस्था के पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, ओ.पी.गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.–5–1–99 पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ, तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर कार्यालय को अवगत कराकर चार्जलिस्ट प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 2 जुलाई 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-487)

क्रं.–परि.–2021–1071.– इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी संस्थाएं, अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत नीचे उल्लेखित संस्थाओं को अंकेक्षण नहीं कराये जाने के कारण, कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र. एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम/पद (4)
1	श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रुई	DR/UJN/1949/19-12-2014	श्री सुरेन्द्र मालवीय (स.नि.)
2	माँ संतोषी माता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुमडावदा.	DR/UJN/1955/22-12-2014	श्री सुरेन्द्र मालवीय (स.नि.)
3	माँ अम्बिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालीखेडी	DR/UJN/1983/01-01-2015	श्री सुरेन्द्र मालवीय (स.नि.)
4	श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूदाहेडा	DR/UJN/2015/12-01-2015	श्री सुरेन्द्र मालवीय (स.नि.)
5	राजेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुढा	DR/UJN/2173/20-08-2015	श्री सुरेन्द्र मालवीय (स.नि.)
6	बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमरपुरा	DR/UJN/2189/20-08-2015	श्री सुरेन्द्र मालवीय (स.नि.)
7	माँ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शंकरपुर	DR/UJN/2193/20-08-2015	श्री सुरेन्द्र मालवीय (स.नि.)
8	श्री धनलक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खजुरियासदर.	DR/UJN/2110/17-07-2015	श्री सुरेन्द्र मालवीय (स.नि.)
9	मोहनपुरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालीखेडी	DR/UJN/1946/17-12-2014	श्री सुरेन्द्र मालवीय (स.नि.)
10	माँ आशापुरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालूहेडा	DR/UJN/1948/19-12-2014	श्री सुरेन्द्र मालवीय (स.नि.)
11	क्षिप्रा पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	DR/UJN/641/25-02-1997	श्री सुरेन्द्र मालवीय (स.नि.)

कारण बताओं सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का संस्था के पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, ओ.पी.गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ, तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर में कार्यालय को अवगत कराकर चार्ज लिस्ट प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 2 जुलाई 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-487)

क्रं.–परिसमापन–2021–1067.– इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी संस्थाएं, अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत नीचे उल्लेखित संस्थाओं को अंकेक्षण नहीं कराये जाने के कारण, कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. राघवी	DR/UJN/516/30-02-1986	श्री सी.एस. असोडिया (सह. निरिक्षक)
2	जय भारत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मोदी	DR/UJN/2209/14-09-2015	श्री सी.एस. असोडिया (सह. निरिक्षक)
3	लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. खेडाखजुरिया	DR/UJN/1961/27-12-2014	श्री सी.एस. असोडिया (सह. निरिक्षक)
4	महाकालेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मकला	DR/UJN/1967/22-12-2014	श्री सी.एस. असोडिया (सह. निरिक्षक)
5	हनुमान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सुतारखेडा	DR/UJN/1960/27-12-2014	श्री सी.एस. असोडिया (सह. निरिक्षक)
6	अक्षय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कासोन	DR/UJN/2230/11-02-2015	श्री सी.एस. असोडिया (सह. निरिक्षक)
7	आंजना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. गोगापुर	DR/UJN/2210/04-09-2015	श्री सी.एस. असोडिया (सह. निरिक्षक)
8	श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. ईटावा	DR/UJN/1974/20-12-2014	श्री सी.एस. असोडिया (सह. निरिक्षक)

कारण बताओं सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का संस्था के पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, ओ.पी.गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूं तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर, कार्यालय को अवगत कराकर चार्ज लिस्ट प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 2 जुलाई 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-487)

क्रं.–परिसमापन–2021–1073.– इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत नीचे उल्लेखित संस्थाओं को अंकेक्षण नहीं कराये जाने के कारण, कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	माँ अंजनि बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जलालखेडी	DR/UJN/2178/20-08-2015	श्रीमति मोनिका सक्सेना (सह. निरिक्षक)
2	गजानन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पिपल्याराघो	DR/UJN/2140/04-08-2015	श्रीमति मोनिका सक्सेना (सह. निरिक्षक)
3	चिंतामण जवासिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN/2283/18-11-2015	श्रीमति मोनिका सक्सेना (सह. निरिक्षक)

(1)	(2)	(3)	(4)
4	उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बाढकुम्मेद	DR/UJN/2019/12-01-2015	श्रीमति मोनिका सक्सेना (सह. निरिक्षक)
5	माँ उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बोलासा	DR/UJN/1942/15-12-2014	श्रीमति मोनिका सक्सेना (सह. निरिक्षक)
6	जय अम्बे बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बकानिया	DR/UJN/1975/30-12-2014	श्रीमति मोनिका सक्सेना (सह. निरिक्षक)
7	मायानंद चैतन्य बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. झिरोलिया	DR/UJN/1987/01-01-2015	श्रीमति मोनिका सक्सेना (सह. निरिक्षक)
8	कोकलेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कोकलाखेडी	DR/UJN/1988/01-01-2015	श्रीमति मोनिका सक्सेना (सह. निरिक्षक)

कारण बताओं सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का संस्था के पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, ओ.पी.गुप्ता उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ, तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर कार्यालय को अवगत कराकर चार्ज लिस्ट प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 2 जुलाई 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-487)

क्रं.–परिसमापन–2021–1068.– इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत नीचे उल्लेखित संस्थाओं को अंकेक्षण नहीं कराये जाने के कारण, कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र. दिनांक (3)	परिसमापक का नाम/पद (4)
1	किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. लक्ष्मीपुरा.	DR/UJN/2018/12-01-2015	सुश्री निधी भदौरिया (सह. निरिक्षक)
2	ब्रजराज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. ब्रजराजखेडी.	DR/UJN/2014/12-01-2015	सुश्री निधी भदौरिया (सह. निरिक्षक)
3	अवन्तिका इंदिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन.	DR/UJN/1486/30-06-1998	सुश्री निधी भदौरिया (सह. निरिक्षक)
4	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मोलगा.	DR/UJN/1908/04-12-2012	सुश्री निधी भदौरिया (सह. निरिक्षक)
5	ऐंजिल प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन.	DR/UJN/1855/03-05-2013	सुश्री निधी भदौरिया (सह. निरिक्षक)
6	महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मुसलपुरा.	DR/UJN/2128/04-08-2015	सुश्री निधी भदौरिया (सह. निरिक्षक)
7	रिद्धी सिद्धी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. टंकारिया काजी.	DR/UJN/2030/22-01-2015	सुश्री निधी भदौरिया (सह. निरिक्षक)

कारण बताओं सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का संस्था के पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, ओ.पी.गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ, तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर कार्यालय को अवगत कराकर चार्ज लिस्ट प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 2 जुलाई 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-487)

क्रं.–परिसमापन–2021–1070.– इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत नीचे उल्लेखित संस्थाओं को अंकेक्षण नहीं कराये जाने के कारण, कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	माँ दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. लेकोडा.	DR/UJN/2000/01-01-2015	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (सह. निरिक्षक)
2	श्री गजेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पिपलौदा द्वारकाधीश.	DR/UJN/2010/12-01-2015	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (सह. निरिक्षक)
3	सद्गुरु बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. भानबडोदिया.	DR/UJN/2201/21-09-2015	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (सह. निरिक्षक)
4	शुभ साख सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN/1803/12-12-2012	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (सह. निरिक्षक)
5	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. उज्जैनिया	DR/UJN/2244/20-08-2015	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (सह. निरिक्षक)
6	संत अगरदास साख सहकारी संस्था मर्या. कोकलाखेडी.	DR/UJN/1637/09-02-2009	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (सह. निरिक्षक)
7	विकास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. टंकारिया पंथ.	DR/UJN/2130/04-08-2015	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (सह. निरिक्षक)
8	राधिका महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. सरवना.	DR/UJN/1629/07-02-2004	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (सह. निरिक्षक)
9	जय श्री महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सेमलिया नसद.	DR/UJN/2016/12-01-2015	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (सह. निरिक्षक)

कारण बताओं सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का संस्था के पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, ओ.पी.गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ, तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर में कार्यालय को अवगत कराकर चार्ज लिस्ट प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 2 जुलाई 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक.

(G-487)

कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)

उज्जैन, दिनांक 29 जून 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–998.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., हरनावदा, जिला उज्जैन	DR/UJN/1910/04–12–2014

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., हरनावदा, जिला उज्जैन.	DR/UJN/1910/04–12–2014	श्रीमति स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

उज्जैन, दिनांक 16 जून 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–954.–दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बेलरी जिसका पंजीयन क्रमांक 679, दिनांक 30 अगस्त 1984 आदेश क्रमांक 2421, दिनांक 07 जुलाई 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एल. परमार, (सहकारी निरीक्षक) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप आयुक्त सहकारी संस्थाऐं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझसे वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक–परि.–दिनांक को निरस्त कर अधिनियम की धारा 69(4) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बेलरी जिसका पंजीयन क्रमांक 679, दिनांक 30 अगस्त 1984 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री आर. एल. परमार (सहकारी निरीक्षक) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 16 जून 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(G-488)

उज्जैन, दिनांक 29 जून 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–999.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चापानेर, जिला उज्जैन	DR/UJN/824/23–12–1988

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चापानेर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/824/23–12–1988	श्रीमति हेमलता चंदेल, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1000.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	श्री महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवराखेडी बुजूर्ग, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2041/28–01–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का नाम / पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवराखेडी बुजूर्ग, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2041 / 28–01–2015	श्री शांतिलाल चौहान सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1001.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	श्री महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नहारिया, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2001 / 01–01–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क / ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नहारिया, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2001 / 01–01–2015	डॉ. सुश्री निधि भदौरिया, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1002.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खाचरौद	DR/UJN/999 / 08–04–1991

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खाचरौद .	DR/UJN/999/08–04–1991	श्री शांतिलाल चौहान, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

उज्जैन, दिनांक 2 अगस्त 2021

क्र.–परि.–2021–1652.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	कामधेनु बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/109/03–10–2008

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कामधेनु बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/109/03–10–2008	श्री राजेश शेर, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1653.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	जय चम्बल बीज सहकारी संस्था मर्यादित, परमारखेडी, तह. खाचरौद.	DR/UJN/2099/22–01–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जय चम्बल बीज सहकारी संस्था मर्यादित, परमारखेडी, तह. खाचरौद.	DR/UJN/2099/22–01–2015	सुश्री निधि भदौरिया, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1654.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोठडी, तहसील बडनगर	DR/UJN/2023/22–01–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोठडी, तहसील बडनगर.	DR/UJN/2023/22–01–2015	श्री वीरधवल जडे, उप. अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1655.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मसवाडियाखालसा, तहसील बडनगर.	DR/UJN/1844/19–03–2014

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मसवाडियाखालसा, तहसील बडनगर.	DR/UJN/1844/19–03–2014	श्री वीरधवल जडे, उप. अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1656.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सरवना उन्हेल, तहसील नागदा.	DR/UJN/1926/04–12–2014

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सरवना उन्हेल, तहसील नागदा.	DR/UJN/1926/04–12–2014	श्री वीरधवल जडे, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1657.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भटेरा, तहसील खाचरौद.	DR/UJN/1836/12–12–2014

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भटेरा, तहसील खाचरौद.	DR/UJN/1836/12–12–2014	सुश्री निधि भदौरिया, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1658.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	काया बरोह वर्णेश्वर संस्था मर्यादित, करोहन, तहसील करोहन जिला उज्जैन.	DR/UJN/1980/01–01–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	काया बरोह वर्णेश्वर संस्था मर्यादित, करोहन, तहसील करोहन, जिला उज्जैन.	DR/UJN/1980/01–01–2015	श्री राजेश शेर, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1659.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	माँ खोरियल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुण्डीखेडा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2267/07–10–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का नाम / पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	माँ खोरियल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुण्डीखेडा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2267 / 07–10–2015	श्री राजेश शेर, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1660.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	क्षिप्रा बीज सहकारी संस्था मर्या., फतेहाबाद, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2184 / 20–08–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क / ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का नाम / पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्षिप्रा बीज सहकारी संस्था मर्या., फतेहाबाद, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2184 / 20–08–2015	श्रीमति मोनिका सक्सेना,, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1661.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	माँ भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुरारखेडी, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2169 / 20–08–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	माँ भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुरारखेडी, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2169/20–08–2015	श्री बी. एस. पटेल, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1663.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्याधागा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/1966/27–12–2014

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्याधागा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/1966/27–12–2014	श्री राजेश शेर,, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1664.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	श्री माया महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, नागदा, तहसील नागदा.	DR/UJN/115/03–08–2009

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री माया महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, नागदा, तहसील नागदा.	DR/UJN/115/03–08–2009	सुश्री निधि भदौरिया, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1665.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामसरा, तहसील महिदपुर.	DR/UJN/1779/23–07–1912

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामसरा, तहसील महिदपुर.	DR/UJN/1779/23–07–1912	श्री वीरधवल जडे, उप. अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र./परि./2020/1666.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	मॉ कालिका बीज सहकारी संस्था मर्यादित इंगोरिया, तहसील बडनगर.	DR/UJN/2176/20–08–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मॉ कालिका बीज सहकारी संस्था मर्यादित इंगोरिया, तहसील बड़नगर.	DR/UJN/2176/20–08–2015	श्री एन. पी. बोहरे, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र./परि./2021/1667.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	हनुमंत बीज सहकारी संस्था मर्या., कढाई, तहसील बडनगर	DR/UJN/2027/22–01–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	हनुमंत बीज सहकारी संस्था मर्या., कढाई, तहसील बडनगर.	DR/UJN/2027/22–01–2015	श्री एन. पी. बोहरे, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र./परि./2021/1668.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	सार्थक बीज सहकारी संस्था मर्या., असावता, तहसील बडनगर.	DR/UJN/2029/11–09–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का नाम / पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सार्थक बीज सहकारी संस्था मर्या., असावता, तहसील बडनगर.	DR/UJN/2229 / 11–09–2015	श्री एन. पी. बोहरे, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र. / परि. / 2021 / 1669.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., कलेसर, तहसील घट्टिया तहसील तराना, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2111 / 25–07–2011

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क / ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का नाम / पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., कलेसर, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2111 / 25–07–2011	श्री संतोष सांखलिया, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र. / परि. / 2021 / 1670.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. अम्बेडकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सरली, तहसील तराना, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2137 / 04–08–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ. अम्बेडकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सरली, तहसील तराना, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2137/04–08–2015	श्री संतोष सांखलिया, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

उज्जैन, दिनांक 03 अगस्त 2021

क्र./परि./2021/1683.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	जनकल्याण प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., नागदा.	DR/UJN/1046/16–03–1992

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जनकल्याण प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., नागदा.	DR/UJN/1046/16–03–1992	श्री एम. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र./परि./2021/1684.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूनीजा तहसील बडनगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2269/07–10–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूनीजा, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2269/07–10–2015	श्री बी. एस. पटेल, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र./परि./2021/1685.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	लोकप्रिय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैंसलाखुर्द, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2211/04–09–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लोकप्रिय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैंसलाखुर्द, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2211/04–09–2015	श्री बी. एस. पटेल, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र./परि./2021/1686.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	प्रगति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालुखेड़ा तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2203/04–09–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रगति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालुखेड़ा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2203/04–09–2015	श्री संतोष सांखलिया, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1687.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	धनलक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इंगोरिया तहसील बडनगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2200/21–08–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धनलक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इंगोरिया, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2200/21–08–2015	श्री बी. एस. पटेल, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1688.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	आकाश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित नागदा, तहसील खाचरौद.	DR/UJN/1042/16–03–1992

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आकाश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित नागदा, तहसील खाचरौद.	DR/UJN/1042/16–03–1992	श्री एम. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1689.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलसोडा, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2212/04–09–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलसोडा, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2212/04–09–2015	श्री बी. एस. पटेल, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र./परि./2021/1690.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित नागदा, तहसील खाचरौद.	DR/UJN/1041/13–03–1992

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित नागदा, तहसील खाचरौद.	DR/UJN/1041/13–03–1992	श्री एम. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1691.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	गीता बीज सहकारी संस्था मर्यादित मौलाना, तहसील बडनगर	DR/UJN/2034/22–01–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गीता बीज सहकारी संस्था मर्यादित मौलाना, तहसील बडनगर.	DR/UJN/2034/22–01–2015	श्री एन. पी. बोहरे, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1692.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	भीमाशंकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कढाई, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2313/25–07–2016

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भीमाशंकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कढाई, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन,	DR/UJN/2313/25–07–2016	श्री राजेश शेर, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1693.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	जय महाकाल परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	DR/UJN/1673/28–04–2005

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जय महाकाल परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	DR/UJN/1673/28–04–2005	श्रीमति मोनिका सक्सेना, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1694.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, रेवारी, तह. उज्जैन, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2089/25–05–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, रेवारी, तह. उज्जैन, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2089/25–05–2015	श्रीमति मोनिका सक्सेना, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1695.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	उज्जैन नगर कर्मकार संस्था मर्यादित, जिला उज्जैन	DR/UJN/1693/19–06–2006

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उज्जैन नगर कर्मकार संस्था मर्यादित, जिला उज्जैन.	DR/UJN/1693/19–06–2006	श्रीमति मोनिका सक्सेना, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1696.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	बंगाली मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	DR/UJN/452/06–02–1980

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत

संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का नाम / पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बंगाली मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	DR/UJN/452 / 06–02–1980	श्रीमति मोनिका सक्सेना, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1697.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आक्याजागीर, तहसील खाचरौद.	DR/UJN/785 / 28–03–1988

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क / ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का नाम / पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आक्याजागीर, तहसील खाचरौद.	DR/UJN/785 / 28–03–1988	श्री वीरधवल जडे, उप. अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1698.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	जाग्रति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माकडोन, तह. तराना, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2051 / 10–02–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जाग्रति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माकडोन, तह. तराना, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2051/10–02–2015	श्री संतोष सांखलिया, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1699.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोनसा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2183/20–08–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोनसा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2183/20–08–2015	श्री संतोष सांखलिया, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1700.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बघेरा, तहसील तराना, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2032/22–01–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बघेरा, तहसील तराना, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2032/22–01–2015	श्री संतोष सांखलिया, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1701.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भिलसुडा, तहसील नागदा.	DR/UJN/2024/22–01–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999

के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का नाम / पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भिलसुडा, तहसील नागदा.	DR/UJN/2024 / 22–01–2015	श्री वीरधवल जडे, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1702.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चिरडी, तह. तराना	DR/UJN/641 / 1 / 27–01–1984

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क / ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का नाम / पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चिरडी, तह. तराना.	DR/UJN/641 / 1 / 27–01–1984	श्री वीरधवल जडे, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1703.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बंजारी, तह. तराना	DR/UJN/2279 / 12–11–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बंजारी, तह. तराना.	DR/UJN/2279/12–11–2015	श्री वीरधवल जडे, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

उज्जैन, दिनांक 04 अगस्त 2021

क्र.–परि.–2021–1705.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बंगरेड, तह. बडनगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2180/20–08–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बंगरेड, तह. बडनगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2180/20–08–2015	श्री बी. एस. पटेल, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 04 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1706.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	चेतना प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	DR/UJN/1772/24–02–2012

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चेतना प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	DR/UJN/1772/24–02–2012	श्रीमती स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 04 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1707.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	सरिता प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	DR/UJN/1811/31–12–2014

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत

संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का नाम / पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सरिता प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	DR/UJN/1811 / 31–12–2014	श्रीमति स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 04 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1708.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	श्री राम बीज सहकारी संस्था मर्यादित, तालोद, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2008 / 12–01–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क / ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का नाम / पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री राम बीज सहकारी संस्था मर्यादित, तालोद, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2008 / 12–01–2015	श्रीमति स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 04 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

क्र.–परि.–2021–1709.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं, अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जायें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	आनन्द बीज सहकारी संस्था मर्यादित, चंदेसरी, जिला उज्जैन	DR/UJN/1986 / 01–01–2015

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत-करें :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आनन्द बीज सहकारी संस्था मर्यादित, चंदेसरी, जिला उज्जैन.	DR/UJN/1986/01–01–2015	श्रीमति स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 04 अगस्त 2021 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-488)

उज्जैन, दिनांक 06 अगस्त 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–1746.–दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जवासियापंथ जिसका पंजीयन क्रमांक 628, दिनांक 19 दिसम्बर 1983 आदेश क्रमांक 1455, दिनांक 31 अगस्त 2019 से परिसमापन में लाया जाकर सुश्री निधि भदौरिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. तत्समय संस्था अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाई गयी थी.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था के संबंध में लिखा है कि उपरोक्त संस्था निर्वाचन व अंकेक्षण नियमित रूप से होने के कारण परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता सिद्धांतों संस्था एवं सदस्यों के हित में संस्था को पुर्नजीवित किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप आयुक्त, सहकारी संस्था, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझसे वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक परि. दिनांक को निरस्त कर अधिनियम की धारा 69(4) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जवासियापंथ जिसका पंजीयन क्रमांक 628, दिनांक 19 दिसम्बर 1983 को पुर्नजीवित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

ओ. पी. गुप्ता, उप आयुक्त.

(G-488)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक सहकारिता विभाग, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

नियम 57 (ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप

[म.प्र. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

खण्डवा, दिनांक 11 अगस्त 2021

जावक क्र.–2–1–11–8–21.– मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	पंजीयन दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ग्रामीण गणपति चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मोहना	707	18–05–1959	1218 दिनांक 17–12–1991
2.	चर्मकार रोजगार औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा	852	16–03–1962	3764 / 12–07–1977
3.	नवरंग महिला सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा	1305	18–01–1983	157 / 22–01–2009
4.	शक्ति स्टील अलमारी औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा	1382	13–12–1986	580 / 03–03–1998

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रृटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जाएगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किए गए समझे जायेंगे.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 11 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

गोविंदप्रसाद नागवंशी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(G-489)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि.ख. सरदारपुर जिला धार, मध्यप्रदेश

[म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के उपनियम 57 (1)(सी / ग) के अंतर्गत]

धार, दिनांक 16 अगस्त 2021

क्र.–परिसमापन–2021–क्यू–1.– कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उत्तम स्वामीजी महा. प्रा.सह. उप. भंडार मर्या. राजगढ़	1343 / 09–01–13	2231 / 22–04–21
2.	श्री माही प्रा. उपभोक्ता सह. भंडार मर्या. सरदारपुर	1357 / 05–03–13	2232 / 22–04–21
3.	शबरी प्रा. उपभोक्ता सह. भंडार मर्या. राजगढ़	1608 / 06–12–2002	2233 / 22–04–21

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री शुभ लक्ष्मी साख सह. संस्था मर्या. राजगढ़	1637 / 17–02–16	2234 / 22–04–21
5.	एकलव्य आदि मत्स्यो. सह. संस्था मर्या. आनंदखेड़ी	1271 / 01–03–2011	2236 / 22–04–21
6.	पूजा मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या. दंतोली	1954 / 16–06–16	2237 / 22–04–21
7.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या. बरमखेड़ी	1189 / 17–08–2005	2238 / 22–04–21
8.	डॉ. अम्बेडकर औद्यो. सह. संस्था. मर्या. गुमानपुरा	1277 / 07–07–2011	2292 / 23–04–21
9.	महावीर कृषि क्रय विक्रय सह. संस्था मर्या. राजगढ़	1409 / 01–02–2014	2299 / 23–04–21
10.	श्री सिद्धि विनायक पर्यटन सह. संस्था मर्या. रिंगनोद	1660 / 01–08–16	2300 / 23–04–21
11.	विनायक वेयर हादस सह. संस्था मर्या. राजगढ़	1496 / 20–02–2014	2309 / 23–04–21
12.	प्राथ. बुनकर एवं विवर्स सह. संस्था मर्या. रिंगनोद	402 / 08–05–94	2308 / 23–04–21
13.	श्री राजेन्द्रसूरि औद्यो. सह. संस्था मर्या. राजगढ़	1221 / 22–07–2007	2313 / 23–04–21
14.	श्री राजराजेश्वरी औद्यो. सह. संस्था मर्या. राजगढ़	1220 / 22–07–2007	2312 / 23–04–21
15.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या. गोविंदपुरा	1550 / 07–10–2014	2347 / 23–04–21
16.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या. बोडिया	442 / 01–01–1982	2350 / 23–04–21
17.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या. भावगढ	613 / 01–01–1984	2353 / 23–04–21
18.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या. बडोदिया	1542 / 30–09–2014	2373 / 23–04–21
19.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या. चंदोडिया	1199 / 31–12–2005	2381 / 23–04–21
20.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या. रघुनाथपुरा	1319 / 05–02–12	2379 / 23–04–21
21.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या. पडुनीकलां	744 / 23–01–1990	2378 / 23–04–21

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 के उप नियम 57 (1)(सी / ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण / साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति के लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयं में व मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी / देनदारी आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 16 अगस्त 2021 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

कमलसिंह गार्डे, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(G-490)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सह. संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 16 अगस्त 2021

क्र.–परि.–2021–1.– उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्र.–परि–2021 दिनांक..... द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., मुआड़ा	1658 / 29–09–2012	943 / 23–07–2018
2.	नवीन प्राथ. उप. भंडार, आष्टा	1827 / 24–07–2015	786 / 26–08–2016
3.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., फूडरा	718 /	1176 / 16–12–2015
4.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., लसु. विजयसिंह	1034 / 19–07–1994	731 / 04–08–2015
5.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., ऊमरपुरा	1043 / 20–07–1994	731 / 04–08–2015
6.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., मूण्डला मैना	1136 / 31–07–1999	731 / 04–08–2015
7.	प्राथ. बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या. बैजनाथ	1380 / 17–07–2007	786 / 26–08–2016
8.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या. जताखेड़ा	1339 / 24–05–2006	43 / 14–01–2019
9.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या. कानराखेड़ी	1045 / 19–07–1994	43 / 14–01–2019
10.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या. बड़झिरी	1555 / 09–09–2011	43 / 14–01–2019
11.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या. लसुड़िया सूखा	1044 / 19–07–1994	43 / 14–01–2019
12.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या. बांदरिया हाट	964 / 09–11–1989	52 / 17–01–2019
13.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या. बालाखेड़ा	1505 / 04–09–2010	52 / 17–01–2019
14.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या. भंवरीकलॉ	1030 / 19–07–1994	52 / 17–01–2019
15.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या. शिवखेड़ी	1583 / 03–02–2012	720 / 29–07–2019
16.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या. शिवखेड़ी	1544 / 13–03–2011	721 / 29–01–2019

अतः मैं, आर. के. रायचूर, पद सह. निरीक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाऐं जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना–पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय. पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी सदस्य / सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आर. के. रायचूर, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-491)

कार्यालय, परिसमापक, दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., डोबरा

नियम 57 (ग) के तहत दावे एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप

डोबरा, दिनांक 16 अगस्त 2021

पंजीयन क्र. –1156 दि.–6–1–2001–क्र.–परि–2021–Q1.–यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित डोबरा पंजीयन क्रमांक 1156 जिला सीहोर को उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं जिला सीहोर के आदेश क्रमांक परि.–2021–650 दिनांक 5 अगस्त 2021 से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है.

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. डोबरा सहकारी तहसील सीहोर जिला सीहोर पंजीयन क्र. 1156 दिनांक 6 जनवरी 2001 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57 सी की इस सूचना पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में तथा साक्षों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 16 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी.

आर. एस. रेलवान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-491)

कार्यालय, परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रायपुरा

नियम 57 (ग) के तहत दावे एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप

रायपुरा, दिनांक 16 अगस्त 2021

पंजीयन क्र.–1142 दि.–23–3–2000–क्र.–परि–2021–Q1.–यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित रायपुरा पंजीयन क्रमांक 1142 जिला सीहोर को उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं जिला सीहोर के आदेश क्रमांक परि.–2021–651, दिनांक 5 अगस्त 2021 से म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है.

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. रायपुरा तहसील सीहोर जिला सीहोर पंजीयन क्र. 1142 दिनांक 23 मार्च 2000 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57 सी की इस सूचना पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में तथा साक्षों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 16 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी.

आर. एस. रेलवान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-491)

कार्यालय, परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. फूलमोगरा

नियम 57 (ग) के तहत दावे एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप

फूलमोगरा, दिनांक 16 अगस्त 2021

पंजीयन क्र.–1322 दि.–12–3–2005–क्र.–परि–2021–Q1.–यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित फूलमोगरा पंजीयन क्रमांक 1322 जिला सीहोर को उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं जिला सीहोर के आदेश क्रमांक परि.–2021–652, दिनांक 5 अगस्त 2021 से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है.

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. फूलमोगरा, सहकारी तहसील सीहोर जिला सीहोर पंजीयन क्र. 1322 दिनांक 12 मार्च 2005 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57 सी की इस सूचना पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 16 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी.

आर. एस. रेलवान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-491)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

सीहोर, दिनांक 16 अगस्त 2021

क्र.–परिसमापन–2021–704.– मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहां उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित दिगवाढ़ पंजीयन क्र. 1625 दिनांक 26 सितम्बर 2012 इसके लेखा वर्ष 2018–19 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित दिगवाढ़ में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69–2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित दिगवाढ़ को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित दिगवाढ़ को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूं. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओं सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओं सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 16 अगस्त 2021 को जारी किया गया.

(G-491)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–711.– मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहां उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अतरालिया पंजीयन क्र. 1629 दिनांक 27 सितम्बर 2012 इसके लेखा वर्ष 2018–19 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अतरालिया में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69–2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला, सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अतरालिया को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अतरालिया को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूं. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओं सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओं सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 16 अगस्त 2021 को जारी किया गया.

(G-491)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–710.– मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहां उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मकोड़ियाधीर पंजीयन क्र. 1454 दिनांक 22 अक्टूबर 2009, इसके लेखा वर्ष 2018–19 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मकोड़ियाधीर में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69–2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं जिला, सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मकोड़ियाधीर को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मकोड़ियाधीर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूं. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओं सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में अथवा प्राप्त उत्तर संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओं सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 16 अगस्त 2021 को जारी किया गया.

(G-491)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–709.– मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1690 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहां उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चीचली पंजीयन क्र. 1778 दिनांक 10 जुलाई 2014, इसके लेखा वर्ष 2018–19 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चीचली में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69–2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं जिला, सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चीचली को परिसमापन में लाये जाने संबंधि प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित चीचली को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूं. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओं सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में अथवा प्राप्त उत्तर संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओं सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 16 अगस्त 2021 को जारी किया गया.

(G-491)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–708.– मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सतदेवा पंजीयन क्र. 1671 दिनांक 29 सितम्बर 2012, इसके लेखा वर्ष 2018–19 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सतदेवा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69–2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया हैं.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सतदेवा को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सतदेवा को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओं सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 16 अगस्त 2021 को जारी किया गया.

(G-491)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

कारण बताओ सूचना–पत्र

क्र.–परिसमापन–2021–707.– मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी में अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित किश्नपूर पंजीयन क्र. 1636 दिनांक 27 सितम्बर 2012, इसके लेखा वर्ष 2018–19 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित किश्नपूर में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69–2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित किश्नपूर को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित किश्नपूर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओं सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 16 अगस्त 2021 को जारी किया गया.

(G-491)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

कारण बताओ सूचना–पत्र

क्र.–परिसमापन–2021–706.– मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी में अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जाटमुहाई पंजीयन क्र. 1638 दिनांक 27 सितम्बर 2012, इसके लेखा वर्ष 2018–19 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जाटमुहाई में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69–2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जाटमुहाई को परिसमापन में लाये जाने संबंधि प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जाटमुहाई को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओं सूचना पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोष जनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 16 अगस्त 2021 को जारी किया गया.

(G-491)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

कारण बताओ सूचना–पत्र

क्र.–परिसमापन–2021–705.– मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी में अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित इटारसी II पंजीयन क्र. 1751 दिनांक 13 फरवरी 2014, इसके लेखा वर्ष 2018–19 के पारित आडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित इटारसी II में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69–2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित इटारसी II को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित इटारसी II को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 16 अगस्त 2021 को जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक.

(G-491)

कार्यालय, परिसमापक एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. दौराहा

दौराहा, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र.–परिसमापन–Q–1.– उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक–परि.–2019–717 दिनांक 29 जुलाई 2019 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दुग्ध उत्पादक सह. स. मर्या. दौराहा तहसील व जिला सीहोर म.प्र.	773/10–2–1980	क्रमांक/परिसमापन/2019/717/29–7–2019

अतः मैं बी.के. तिवारी पद स.नि. सहकारी संस्थाएं जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता है कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या अपत्ति या रिकार्ड

हो तो वे इस सूचना पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-492)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या. बैरागड़ छत्री

बैरागड़ छत्री, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्रं.–परिसमापन–Q–2.– उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक–परि.–2019–718 दिनांक 29 जुलाई 2019 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अनतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बैरागड़ छत्री तहसील व जिला सीहोर म.प्र.	1602/06–3–2012	क्रमांक/परिसमापन/2019/718/29–7–2019

अतः मैं बी.के. तिवारी पद स.नि. सहकारी संस्थाऐं जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता है कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना–पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाऐं. जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

बी.के.तिवारी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G-492)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2021.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 सितम्बर 2021—भाद्र 19, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.